

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1 (8)वित्त/साविलेनि/2011

जयपुर, दिनांक : 4-10-2013
परिपत्र संख्या : 21/2013

परिपत्र


राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुसार उपापन संस्थाओं द्वारा रुपये एक लाख एवं इससे ज्यादा के उपापन (Procurement) को एक्ट की धारा 17 के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है।

इस हेतु विभागों/संगठनों द्वारा Nodal Officer नामित करने से सम्बन्धित निम्न पत्र/परिपत्र पूर्व में जारी किये गये हैं—

1. परिपत्र संख्या 33/2012 दिनांक 27.11.2012
2. परिपत्र संख्या 37/2012 दिनांक 19.12.2012
3. परिपत्र संख्या 38/2012 दिनांक 21.12.2012
4. परिपत्र संख्या 39/2012 दिनांक 26.12.2012
5. परिपत्र संख्या 03/2013 दिनांक 04.02.2013

किन्तु कतिपय विभागों द्वारा आदिनांक तक Nodal Officer नामित नहीं किया गया है जिससे ऐसे विभागों द्वारा prescribed सूचना "<http://sppp.raj.nic.in>" पोर्टल पर प्रदर्शित करने में समस्या आना स्वाभाविक है।


अतः ऐसे समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय/संगठनों के क्रम में सुनिश्चित करें कि वित्त विभाग की website "<http://sppp.raj.nic.in>" पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम व परिपत्रों, अधिसूचनाओं के अनुसार ही procurement की कार्यवाही की जाए तथा अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया से संबंधित सूचना आवश्यक रूप से अपलोड की जाए।


(अखिल अरोरा)

शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव
को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. पर्यीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पर्यीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।



(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव